तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **चॉव खॉ बनाम असर खॉ** **136/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00071)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने जो तथाकथित सीमाज्ञान करवाया जाना अंकित किया है जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को नही रही है, अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उक्त सीमाज्ञान की कार्यवाही की गई है और अगर कोई कार्यवाही अविधिक रूप से बिना अपीलार्थीगण की जानकारी से करवाई गई है तो वह गलत है, अविधिक है एवं काबिले खारिज है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजरअन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2019 पारित किया गया है जो काबिले निरस्त है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट्स को दिनांक 26.06.2019 को जब हुई तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अपीलान्ट्स के पुख्ता मकानात व बाड़े की तोड़–फोड़ कराने के लिये आये तो अपीलान्ट ने उनका पुरजोर विरोध किया रेस्पोडेन्ट जाते–जाते अपीलान्ट को एलानियॉ धमकी दी की हमने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा से अपने पक्ष में निर्णय पारित करवा लिया है और शीघ्र ही जरिये पुलिस ईमदाद हमारे द्वारा आपके कब्जो को ध्वस्त करवा दिया जायेंगा तत्पश्चात दिनांक 27.06.2019 को अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा नकल अपीलान्ट्स को प्राप्त होने व मुकदमा महनताना इक्कठा कर व आवश्यक कानूनी सलाह लेकर अन्दर मियाद उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा उक्त देरी के सम्बन्ध में प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधि. अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2019 निरस्त फरमाया जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 441 व 442 का 1/2 भाग रेस्पोडेन्ट का कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है तथा अपीलान्ट उक्त खसरा नम्बर 441 व 442 की डौल तोड़ने का आये दिन प्रयास करते रहते है तथा मना करने पर झगडा फसाद करते है, मारपीट करने पर भी आमदा रहते है तथा मई 2016 में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के कब्जा में मुजाहित हुऐ आराजी में प्रवेश करने का असफल प्रयास किया जिस पर रेस्पोडेन्ट ने उक्त खसरा नम्बरान की पैमाईश के लिए तहसीलदार तिजारा यहॉ पैमाईश करने के लिऐ प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार तिजारा के आदेश पर दिनांक 26.05.2016 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर गॉव के लागों के समक्ष पैमाईश कर पैमाईश बिन्दू कायम किये गये तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट ने अपनी हक, हकूक व अधिकार की आराजी की पत्थरगढ़ी हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **चॉव खॉ बनाम असर खॉ** **136/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00071)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई का अवसर देते के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2019 पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही रही है लेकिन रेस्पोडेन्ट को हैरान–परेशान करने की नियत से मियाद बाहर अपील प्रस्तुंत की गई है जो मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 16.06.19 पेश होनी थी किन्तु पत्रावली दिनांक 23.04.19 को पेश हुई और रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस सुनकर वास्ते आदेश दिनांक 30.04.19 नियत हुई जबकि अपीलान्ट को तारीख पेशी दिनांक 26.04.19 के नोटिस प्रकरण में अंतिम बहस सुनने के पश्चात् जारी हुऐ है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2019 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए भू प्रबन्ध विभाग अलवर की टीम से पैमाईश करवाई जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(क0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर